



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
(A Central University established by Parliament by Act No. 3 of 1997)
नेक द्वारा 'A' ग्रेड प्राप्त Accredited with 'A' Grade by NAAC

कादर नवाज़ ख़ान
कार्यकारी कुलसचिव
Kadar Nawaz Khan
Acting Registrar

दूरभाष/Phone : +91-7152-230902
फैक्स/Fax: + 91-7152-247602

क्रमांक: 003 / 2003 / का.आ. / 02-79 / 2021
दिनांक : 13.05.2021

कार्यालयादेश

देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार तथा महाराष्ट्र सरकार द्वारा जारी आदेशों के आलोक में विश्वविद्यालय के वर्धा मुख्यालय के साथ-साथ क्षेत्रीय केंद्र, प्रयागराज और क्षेत्रीय केंद्र, कोलकाता दिनांक 01.06.2021 तक बंद रहेंगे।

सभी अधिकारी, कर्मी दिनांक 01.06.2021 तक घर से ही कार्यालयीन (Work from Home) कार्य संपन्न करेंगे।

विश्वविद्यालय में ऑनलाइन कक्षाएँ तथा सभी आवश्यक सेवाएँ यथावत जारी रहेंगी।

इसे सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

कादर नवाज़
(कुलसचिव)
13/05/21

प्रति (ई-मेल द्वारा) :

समस्त अधिष्ठाता, विभागाध्यक्ष, कार्यालय प्रमुख, क्षेत्रीय केंद्र के अकादमिक निदेशक और प्रभारी,

प्रतिलिपि (ई-मेल द्वारा) :

1. कुलपति कार्यालय
2. प्रतिकुलपति द्वय कार्यालय
3. समस्त शैक्षणिक, गैर-शैक्षणिक अधिकारी, कर्मी
4. वित्त विभाग
5. विश्वविद्यालय वेबसाइट
6. संबंधित पत्रावली